R-1979-I/07 (13)

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक । २००७ पुनरीक्षण.

१) दुर्गाप्रसाद पुत्र श्री रामसुख(माट) शर्मा,
२) बालचन्द्र पुत्र रामसुख माट
३) रामभज पुत्र स्व० श्री रामलखन (माट) शर्मा,
४) भोलाप्रसाद पुत्र स्व० श्री रामलखन(माट) शर्मा,
५) राजेन्द्रप्रसाद पुत्र स्व० श्री रामलखन(माट) शर्मा,
६) सुरेन्द्रप्रसाद पुत्र स्व० श्री रामलखन,(माट) शर्मा,
७) रामलाल माट पुत्र श्री रामनाथ माट,शर्मा
८) मनोहरलाल पुत्र श्री रामनाथ(माट) शर्मा,
समस्त निवासीगण ग्राम बिहरा तहसील सिंगरौली, जिला सीधी (म०प्र०)

---- आवेदकगण.

वनाम.

१) मु० बुटनी बेवा [illegible] रिक्कू, [illegible] चौनपति पुरी निवासी ग्राम बिहरा तहसील सिंगरौली, जिला सीधी (म०प्र०)
२) रतिमान पुत्र मरोसे माट,
निवासी ग्राम बिहरा तहसील सिंगरौली,
जिला सीधी हाल मुकाम ग्राम बरौहा,
तहसील सिंगरौली, जिला सीधी(म०प्र०)

---- अनावेदकगण.

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०भू-राजस्व संहिता १९५९ विरुद्ध आदेश दिनांक ३-११-०७ पारित द्वारा श्री वही,के० सिंह, न्यायालय अपर आयुक्त रीवासंभाग रीवा,प्रकरण क्रमांक ३४।अपील।०२-०३ बउनवान दुर्गाप्रसाद वादि वनाम मु० बुटनी आदि ।

आज दि० 24-12-07 को प्रस्तुत ।
अपर कलेक्टर
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

24/12/07
न्यायालय अपर आयुक्त
रीवा संभाग रीवा
26.11.11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 1979–एक/07 जिला –सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.7.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 श्रीवास्तव उपस्थित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 349/अपील/02–03 में पारित आदेश दिनांक 3.11.07 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । 2– प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक बुटनी आदि ने ग्राम बिहरा की आराजी नंबर 13/1क नया नंबर 160 बनाये जाने पर बंदोवस्त के दौरान हुई त्रुटि को सुधार हेतु अवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर कलेक्टर द्वारा विचारोपरांत बंदोवस्त में हुई त्रुटि को सुधार किये जाने का आदेश पारित किया गया। इससे परिवेदित होकर अपार आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो अपर आयुक्त रीवा द्वारा अपने पारित आदेश दिनांक 3.11.07 द्वारा अपील सारहीन पाये जाने से निरस्त की गई । इसी आदेश से व्यथित होकर इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अपर कलेक्टर को आवेदन पत्र शुद्धीकरण हेतु प्रस्तुत किया था जिसमें	

P.T.O

कब्जा के आधार पर सुधार करने का निवेदन किया गया था। उनके द्वारा बताया गया है कि आवेदकगण का विवादित भूमि सर्वे कमांक 158 रकबा 4.04 है0 के शासकीय भूमि पर पूरे रकवे पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। इस प्रकार आवेदकगण आवपश्यक एवं हितबद्व पक्षकार थे जो अनावेदिका द्वारा पक्षकार बनाये बिना एवं सुनवाई के बिना दुरभिसन्धि के आधार पर प्रकरण प्रारंभ कराया । आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में पक्षकार बनाने एवं धारा-5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र का बिना निराकरण किये आवेदकगण की अपील निरस्त कर दी गई। आगे अपने तर्क में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश माननीय न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्यंतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

4- अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समवर्ती आदेश है इसमें हस्तक्षेप नहीं करने के अनुरोध किया गया है । अतः आवेदकगण की निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5- उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये तथा उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। अपर कलेक्टर के आदेश का अवलोकन पाया कि उनके द्वारा पैरा-2 में

विस्तार से प्रकरण की चर्चानुसार आदेश पारित किया गया है । इसमें पुनः दोहराने की आवश्यकता मैं नहीं समझाता हूँ । अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अपर कलेक्टर द्वारा नायब तहसीलदार सिंगरौली प्रभारी क्षेत्र अमिलिया से जांच प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव मंगाया गया। जिसमें नायब तहसीलदार सिंगरौली द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उसी के आधार पर अपरकलेक्टर द्वारा अपना आदेश पारित किया गया है उसी आदेश को अपर आयुक्त रीवा द्वारा अपने आदेश दिनांक 3.11.07 से स्थिर रखा गया है।

6– उभयपक्ष के तुलनात्मक तर्को पर विचार करने पर एवं अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार सिंगरोली के प्रतिवेदन में बताया गया है कि अनावेदकगण आराजी नंबर 13/1 रगवा 2.45 है0 का पटट्ा था तथा उसके भू स्वामित्व में दर्ज थी जिसका नया नंबर 160 रकवा 2.45 है0 बना तथा उसकी भी भू स्वामिनी थी। लेकिन री नंबरिग सूची के अनुसार पुराना नंबर 13/4, 13/5, 16/2 से नया नंबर 138, 13, 14, 16/6, 14/4, 17 से 158, 13, 14, 16, 14/4, 17 से 159 व 13, 14, 16/6, 14/4, 17 से 160 नया नंबर का निर्माण किया गया है। बंदोवस्त में अनावेदक के स्वत्व का जो प्लाट निर्मित किया गया हे वह पहाड़ी व नाकाबिल काश्त भूमि है तथा अनावेदकगण के पुराने नंबर 13 से नया नंबर 158 का निर्माण हुआ है जिसमें अनावेदक का कब्जा है काबिल काश्त भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसी आधार पर प्लाट संशोधन तथा अभिलेख दुरस्त किया है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समवर्ती आदेश होने से उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझाता हूँ । अतः अपर आयुक्त

का आदेश स्थिर रखा जाता है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापस हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(के0 सी0 जैन)
सदस्य